

मध्यप्रदेश विधान सभा



जून-जुलाई, 2004 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरुवार, दिनांक 29 जुलाई, 2004 (श्रावण 7, 1926)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री राधव जी, वित्त मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2003 को समाप्त वर्ष का वाणिज्यिक पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री अजय विश्नोई, पं. रमेश दुबे, श्री नरेश दिवाकर (डी.एन.), सदस्य, मध्यप्रदेश राज्य सिविल सेवा की परीक्षा आयोजित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर सामान्य प्रशासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री इन्द्रजीत कुमार, सदस्य, सीधी जिले की मरसरहा ग्राम पंचायत में माइक्रोवाटर शेड कमटी के पंजीयन में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री गोविन्द सिंह राजपूत, सदस्य, सागर जिले के -

- (क) ग्राम मसुरहाई से तोड़ा तक सड़क बनाये जाने,
- (ख) ग्राम जैसीनगर में कन्या हाई स्कूल खोले जाने,
- (ग) नगरपालिका राहतगढ़ में महाविद्यालय भवन का निर्माण कराये जाने,
- (घ) ग्राम बिलहरा में पेयजल टंकी बनाये जाने, तथा
- (ङ) ग्राम जामुनदाना के पास बीना नदी पर पुल बनाये जाने,

(2) श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य, सतना जिले के -

- (क) ग्राम बेलहरा स्थित शासकीय माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने,
- (ख) नगर पंचायत कोटर (अवेर) स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन का निर्माण कराये जाने,
- (ग) ग्राम कलबलिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
- (घ) ग्राम विहरा नं. 1 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने, तथा
- (ङ) नगर पंचायत कोटर में पुलिस चौकी का भवन बनाये जाने,

(3) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, पत्ता जिले के -

- (क) पवई नगर स्थित शासकीय महाविद्यालय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने,
- (ख) सिमरिया-कोनी वाया सुनवानी-जैतपुर मार्ग का निर्माण कराये जाने,
- (ग) ग्राम हरदुआ खम्हरिया में उप तहसील खोले जाने,
- (घ) ग्राम सुनवानी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,
- (ङ) व्यारमा नदी सिंचाई योजना की स्वीकृति दिलाये जाने, तथा
- (च) ग्राम पाण्डवन में लघु जलविद्युत परियोजना तैयार कराये जाने,

(4) श्रीमती संध्या राय, सदस्य, मुरैना जिले के ग्राम रानपुर से पुथियाना तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने,

(5) श्री शिवप्रसाद राठौर, सदस्य, बैतूल जिले में ताप्ती से बारालिंग तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने,

(6) श्री लाल सिंह आर्य, सदस्य, भिणड जिले के -

- (क) ग्राम चितौरा से पाली तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने,
- (ख) गोहद तिराहे से धनसा ग्राम तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने, तथा
- (ग) ग्राम देहगांव से गुहीसर तक सड़क का डामरीकरण कराये जाने,

(7) श्री रमाकांत तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम पैरा के पास नांदघाट स्थित प्राचीन शिव मंदिर को पर्यटक स्थल घोषित कराये जाने,

(8) श्री बृजेन्द्र तिवारी, सदस्य, ग्वालियर जिले के -

- (क) ग्राम करहिया में कृषि उपज मंडी का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने, तथा
- (ख) ग्राम नीकोड़ी स्थित तालाब का जीर्णोद्धार कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित

समय

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

1 घन्टा

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक निर्माण मंत्री, मध्यप्रदेश राजमार्ग विधेयक, 2004 (क्रमांक 13 सन् 2004) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री लवकेश सिंह, राज्यमंत्री विधि और विधायी कार्य, प्रस्ताव करेंगे कि राष्ट्रपति द्वारा लौटाये गये मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1997 (क्रमांक 41 सन् 1997) पर पुनर्विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा

(3) श्री कैलाश चावला, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 7 सन् 2004) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा

(4) श्री बाबूलाल गौर, विधि और विधायी कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 8 सन् 2004) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा

(5) श्री बाबूलाल गौर, विधि और विधायी कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय दण्ड संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 9 सन् 2004) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि.

(6) श्री हरनाम सिंह राठौर, पशुपालन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश गौ-सेवा आयोग (निरसन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 10 सन् 2004) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा

(7) श्री कैलाश चावला, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वृत्तिकर (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 11 सन् 2004) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा

(8) श्री कैलाश विजयवर्गीय, लोक निर्माण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश राजमार्ग विधेयक, 2004 (क्रमांक 13 सन् 2004) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

भोपाल :
दिनांक : 28 जुलाई, 2004

डॉ. ए.के. पायासी

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.